दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 11)

[18 अप्रैल, 2022]

दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) ''मजिस्ट्रेट'' से,—

(i) किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर मजिस्ट्रेट;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; या

(iii) किसी व्यक्ति को अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश देने के संबंध में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अभिप्रेत है;

(ख) ''माप'' के अंतर्गत अंगुलि-चिह्न, हथेली-छाप चिह्न, पद-छाप चिह्न, फोटो, पुतली और दृष्टिपटल स्कैन, शारीरिक या जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य परीक्षण, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या धारा 53क में निर्दिष्ट हैं, सम्मिलित है; 1974 का 2

(ग) ''पुलिस अधिकारी'' से किसी पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या प्रधान कांस्टेबल की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) ''कारागार अधिकारी'' से किसी कारागार का प्रधान वार्डन की पंक्ति से अन्यून अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगें, जो उनके उन संहिताओं में हैं। 1860 का 45 1974 का 2

माप लेना।

3. कोई व्यक्ति,—

(क) जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोषी है; या

(ख) जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के अधीन उक्त संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन किसी कार्यवाही के लिए अपने अच्छे व्यवहार के लिए या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया; या 1974 का 2

(ग) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या किसी निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है,

यदि अपेक्षित हों, किसी पुलिस अधिकारी या किसी कारागार अधिकारी द्वारा अपना माप ऐसी रीति में लेना अनुज्ञात करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए:

परंतु कोई व्यक्ति जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध (सिवाय किसी महिला या बालक के विरुद्ध किए गए किसी अपराध या सात वर्ष से अन्यून की किसी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए) के लिए गिरफ्तार किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन उसके जैविक नमूनों को लिया जाना अनुज्ञात करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

माप का संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण तथा अभिलेखों का भंडारण, साझा करना, प्रसार, नष्ट और निपटान करना।

4. (1) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण, पता लगाने, अन्वेषण करने और अभियोजन के हित में,—

(क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या किन्हीं अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों से माप के अभिलेखों का संग्रह;

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर माप के अभिलेखों का भंडारण, परिरक्षण और नष्ट;

(ग) ऐसे अभिलेखों को सुसंगत अपराध और अपराधी अभिलेखों के साथ प्रोसेस; और

(घ) किसी विधि प्रवर्तन अभिकरण के साथ ऐसे अभिलेखों को साझा और प्रसार,

ऐसी रीति में कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(2) माप के अभिलेखों को ऐसे माप का संग्रहण करने की तारीख के पचहत्तर वर्ष की कालावधि के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रिोनिकी रूप में प्रतिधारित किया जाएगा:

परंतु कोई व्यक्ति जिसे पूर्व में किसी विधि के अधीन किसी भी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, जिसके माप इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लिए गए थे, जिसे सभी विधिक उपचारों को निःशेष करने के पश्चात् विचारण के बिना किसी न्यायालय, द्वारा उन्मोचित कर दिया जाता है या दोषमुक्त करार दिया जाता है तो इस प्रकार लिए गए माप के सभी अभिलेखों को, जब तक कि

न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए अन्यथा निदेश न दिया जाए, अभिलेखों से नष्ट कर दिया जाएगा।

(3) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी समुचित अभिकरण को अपनी संबंधित अधिकारिताओं में मापों का संग्रहण करने, परिरक्षण करने और साझा करने के लिए अधिसूचित कर सकेंगे।

1974 का 2

मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को माप देने के लिए निदेश देने की शक्ति।

5. जहां मंजिस्ट्रेट का दंड प्रक्रिया, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्वेषण करने या कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन माप देने के लिए निदेश देना समीचीन है तो मजिस्ट्रेट इस प्रभाव का एक आदेश कर सकेगा और उस दशा में व्यक्ति जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे निदेशों के अनुरूप माप लेना अनुज्ञात करेगा।

माप लेना अनुज्ञात करने का प्रतिरोध।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम के अधीन माप देना अनुज्ञात करना अपेक्षित हैं, ऐसे मापों को लेने का प्रतिरोध करता है या इंकार करता है तो पुलिस अधिकारी या कारागार अधिकारी से ऐसे मापों को, ऐसी रीति में लेना, जो विहित की जाए, विधिपूर्वक होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन माप लेने को अनुज्ञात करने का प्रतिरोध करना या इंकार करना भारतीय

1860 का 45

दंड संहिता की धारा 186 के अधीन एक अपराध समझा जाएगा।

वाद का वर्जन करना।

7. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के किए अशयित किसी बात के लिए कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

8. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 के अधीन माप लेने की रीति;

(ख) मापों के संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण की रीति और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के साझा करने, प्रसार करने, नष्ट करने और निपटान करने की रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन माप लेने की रीति;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध किया जाना है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम प्रभावी नहीं होगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है, के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान-मंडल, एक सदन से मिलकर बना है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

9.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

10. (1) बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920 का निरसन किया जाता है। 1920 का 33

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम या की गई कोई कार्यवाही, बनाया गया कोई नियम या दिया गया कोई निदेश या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में वर्णित विशिष्ट विषय निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के संबंध में प्रतिकूल अभिनिर्धारित या प्रभावित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। 1897 का 10

———————